

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/106
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00092
CICOM/R/2019/00266

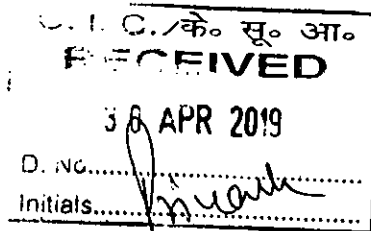
दिनांक: 30.04.2019

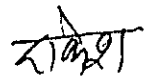
अपीलकर्ता : श्री भीम प्रकाश,
पुत्र - स्व० श्री अनोखेलाल,
निवासी - गौतमनगर कालोनी,
नगला मानसिंह, नई आबादी,
डाकखाना भदेशी, अलीगढ़ ।

निर्णय की तारीख: 30.04.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.04.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	131/22.04.2019 (11375/12.04.2019)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित द्वितीय अपील से संबंधित दिनांक 14.12.2018 को प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 15.03.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00266 के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी गई है । कृपया केन्द्रीय सूचना आयोग में पंजीकृत अपने द्वितीय अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा करें । श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी का केवल अपने विभाग में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों तक ही सीमित है । किसी अन्य विभाग से संबंधित आर.टी.आई. आवेदन या अन्य पत्राचार से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही करना किसी अन्य विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । अतः आपके प्रथम अपील में उल्लिखित अन्य मुद्दों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

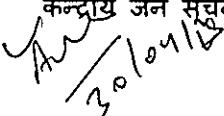



(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290



प्रतिलिपि :

- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।


30/04/19